

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. सुगनसिंह पुत्र चतरूसिंह जाति राजपूत निवासी जगतसिंह नगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 581/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1189


आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम जगतसिंह नगर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 159 में दर्ज खातेदार जगदीशसिंह, नरपतसिंह, प्रतापसिंह, भगवानसिंह, भवानीसिंह, मदनसिंह, सुगनसिंह, पुत्रगण सवाईसिंह हिस्सा 1/56 जाति माली" सुगनसिंह पुत्र चतरूसिंह हिस्सा 1/8 जाति माली" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम/जाति जगदीशसिंह, नरपतसिंह, प्रतापसिंह, भगवानसिंह, भवानीसिंह, मदनसिंह, सुगनसिंह, पुत्रगण सवाईसिंह हिस्सा 1/56 जाति राजपूत" तथा सुगनसिंह पुत्र चतरूसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

- सुगनसिंह पुत्र चतरुसिंह जाति राजपूत निवासी जगतसिंह नगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

—वादी

बनाम

- तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 581 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस. व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्दई रुबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन जगतसिंह नगर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 159 में दर्ज खातेदार जगदीशसिंह, नरपतसिंह, प्रतापसिंह, भगवानसिंह, भवानीसिंह, मदनसिंह, सुगनसिंह, पुत्रगण सवाईसिंह हिस्सा 1/56 जाति माली" सुगनसिंह पुत्र चतरुसिंह हिस्सा 1/8 जाति माली" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम/जाति जगदीशसिंह, नरपतसिंह, प्रतापसिंह, भगवानसिंह, भवानीसिंह, मदनसिंह, सुगनसिंह, पुत्रगण सवाईसिंह हिस्सा 1/56 जाति राजपूत" तथा सुगनसिंह पुत्र चतरुसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....  
ओहदा.....

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान				स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)